रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218835
CG-DL-E-21032020-218835

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941
No. 164] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज नियम (नीलामी),में 2015 , नियम में 10, -

(क) उप-नियम (3) के खंड (घ) में 'योजना, और'शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"योजना :

परंतु यह कि, अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (5) और (6) के अधीन खनन पट्टों की नीलामी के मामलों में, खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 9क के अधीन जारी निहित आदेश लागू होगा;

और",

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियमों को अन्तर्विष्ट किया जाए, अर्थात्:-

"(6क) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा पन्द्रह दिनों के भीतर खनन पट्टा निष्पादित किया जाएगा –

(i) नए पट्टाधारक, जिसे खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 9क के अधीन निहित आदेश जारी किया गया है, को जारी किए गए आशय पत्र की तारीख से; अथवा

(ii) खनिज नीलामी (संशोधन) नियम, 2020 के आरंभ से, अथवा

(iii) पूर्व पट्टाधारक की पट्टावधि समाप्त होने से;

जो भी बाद में हो।

(6ख) आशय पत्र धारक उप-नियम (6क) में उल्लिखित अवधि के भीतर खनन पट्टे को निष्पादित करने हेतु सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जिसके न होने पर, आशय पत्र रद्द कर दिया जाएगा और बोली प्रतिभूति अथवा कार्य निष्पादन प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, और भुगतान की गई कोई भी अग्रिम राशि की किश्त जब्त कर ली जाएगी और अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता को राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के तहत भविष्य में संचालित खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने से वंचित किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि आशय पत्र धारक से आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, पट्टा विलेख के निष्पादन की अवधि को पंद्रह दिनों से अनधिक की और अवधि के लिए नहीं बढ़ा सकती है,यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी देरी पूरी तरह आशय पत्र धारक के नियंत्रण के परेकारणों से हुई है"।

[फा. सं. 1/1/2020-एम.VI]

अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खनिज नीलामी नियम, 2015,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 मई, 2015 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Min eral (Auction) Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015, in rule 10,-

(a) in sub-rule (3), in clause (d), for the words" plan; and", the following shall be substituted, namely:-

"plan:

Provided that, in case of auction of mining leases under sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Act, the vesting order issued under rule 9A of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 shall be applicable; and";

(b) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(6A) Notwithstanding anything contained in these rules, the mining lease shall be executed by the State Government within a period of fifteen days from –

(i) the date of issue of Letter of Intent to the new lessee to whom the vesting order has been issued under rule 9A of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016; or

(ii) commencement of the Mineral Auction (Amendment) Rules, 2020; or

(iii) the expiry of the lease period of the previous lessee;

whichever is later.

(6B) The holder of the Letter of Intent shall comply with all the requirements to execute the mining lease within the period referred to in sub-rule (6A), failing which, the Letter of Intent shall be revoked and the bid security or the performance security, as the case may be, and any instalment of upfront payment paid shall be forfeited, and the preferred bidder or successful bidder may be debarred by the State Government from participating in the future auction of mineral blocks conducted under the provisions of these rules, for three years from the date of such debarment:

Provided that on receipt of an application from the holder of the Letter of Intent, the State Government, may extend the period for execution of the lease deed by a further period not exceeding fifteen days, on satisfaction that such delay is entirely for the reasons beyond the control of the holder of Letter of Intent.".

[F. No. 1/1/2020-M.VI]

ANIL KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Note : The Minerals Auction Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th May, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 191(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. इन नियमों का नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गहा है) में नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट होगा, अर्थात्

9क. अधिनियम की धारा 8ख के अधीन निहित आदेश जारी करने तथा अधिकार, अनुमोदन, स्वीकृतियां, अनुज्ञप्तियां इत्यादि प्राप्त करने के लिए शर्तें.-

(1) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 की अधिसूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (5) व(6) के प्रावधानों के अधीन समाप्त हो रहे पट्टों के संबंध में राज्य सरकार उस राज्य के सचिव स्तर में अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नामित नोडल अधिकारी सभी वैध अधिकारों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि, जो पूर्व पट्टाधारक के पास निहित थे, को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा तथा आशय पत्र सहित नए पट्टाधारक के पक्ष में निहित आदेश जारी करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन जारी निहित आदेश में प्रत्येक अधिकार, अनुमोदन, स्वीकृतियां अनुज्ञप्तियां इत्यादि के नियम व शर्तें वहीं होंगी जो पिछले पट्टाधारक के पास निहित थे।

परंतु यह कि जारी किए गए निहित अधिकार की अवधि के लिए ऐसे अधिकारों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि प्राप्त करने के लिए कोई भी सांविधिक भुगतान व प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज तब तैयार अथवा पूर्ण किए जाएंगे जब नवीन पट्टाधारक इस नियम के अधीन नए अधिकारों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि जारी करने हेतु आवेदन करता है।

पंरतु यह भी कि संबंधित प्राधिकारियों अथवा नोडल अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट, नए पट्टाधारक द्वारा कुछ निश्चित सांविधिक स्वीकृतियों के लिए अनिवार्य भुगतान किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन जारी निहित आदेश नवीन पट्टा विलेख के कार्यान्वयन की तारीख से अथवा सभी नवीन अनुमोदन, स्वीकृति, अनुज्ञप्ति, परमिट इत्यादि जो भी पहले हो, प्राप्त करने की तारीख तक दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(5) अधिनियम की धारा 8ख में विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के लिए पट्टा विलेख के कार्यान्वयन के पश्चात पूर्व पट्टाधारक द्वारा खनन प्रचालन की गई भूमि पर खनन प्रचालन आरंभ करना व जारी रखना नए पट्टाधारक के लिए विधि सम्मत होगा:

परंतु यह कि राज्य सरकार के गैर स्वामित्व वाली अधिग्रहित किसी भी भूमि के संबंध में नए पट्टाधारक को खान प्रचालन का अधिकार होगा, जहां ऐसी भूमि के स्वामी व पूर्व पट्टाधारक द्वारा कोई दावा व वाद, जैसा भी मामला हो, ना हो, तथा ऐसे दावा अथवा वाद पर राज्य सरकार नियमानुसार निर्णय करेगी।

(6) नया पट्टाधारक, अधिनियम की धारा 8ख, उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसरण में दो वर्षों के बाद खनन प्रचालन को जारी रखने में समर्थता हेतु आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए तत्काल लेकिन खनन पट्टे से कार्यान्वयन की तिथि से एक सौ बीस दिनों के पश्चात् नहीं, लागू कानून, नियमों व विनियमनों के अधीन सभी आवश्यक अधिकारों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि जैसा भी मामला हो, के लिए नया आवेदन करेगा।

परंतु यह कि नई खनन योजना के तैयार होने तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत होने तक पूर्व पट्टाधारक की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही नवीन पट्टाधारक खनन प्रचालन जारी रखेगा।

(7) नई खनन योजना को प्रस्तुत करने पर नया पट्टाधारक नई खनन योजना अपनायेगा और नई खनन योजना के अनुसार खनन प्रचालनों को आरंभ करते समय नए पट्टाधारक को पिछले पट्टाधारक द्वारा धारित खनन योजना की अनुमोदित मात्रा और संकल्पात्मक सीमा के अनुरूप होगा, जब तक नया पट्टाधारक नवीन स्वीकृतियां, अनुमोदन, अधिकार, इत्यादि प्राप्त नहीं कर लेता है।

(8) नया पट्टाधारक ऐसे आवेदन की प्रतियों के साथ-साथ उप-नियम (6) के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के विषय में नोडल अधिकारी को सूचित करेगा और नए पट्टाधारक को राज्य सरकार द्वारा स्थापित सिंगल विंडों प्रणाली के जरिए खनन प्रचालनों हेतु अपेक्षित अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा:

परंतु यह कि खनन प्रचालन जारी रखने के लिए अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का अंतिम उत्तरदायित्व नये पट्टाधारक के पास होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के उद्देश्यों हेतु : "सिंगल विंडों प्रणाली" से तात्पर्य एक ऐसे प्रणाली से है जिसे नीलामी प्रक्रिया के जरिए चयनित सफल बोलीदाता द्वारा खनन प्रचालन आरंभ करने हेतु अपेक्षित आवश्यक स्वीकृतियों के अनुदान को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

(9) कोई भी प्राधिकरण पुराने पट्टाधारक के पिछले उल्लंघनों या बकाया राशि के कारण नये पट्टाधारक के अधिकारों, अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों के अनुदान को रद्द नहीं करेगा, जिसे पक्षकार उचित विधिक दावों के पूर्वाग्रह के बिना पृथक रूप से उचित फोरम के समक्ष लाया जाए।

3. उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"12क- अधिनियम की धारा 4ख के अनुसार उत्पादन को प्रारंभ और जारी रखने के लिए अतिरिक्त शर्ते-(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नए पट्टे के क्रियान्वयन की तिथि से पहले दो वर्षों के दौरान, खनन पट्टे धारक को जिसके पास अधिनियम की धारा 8ख के अधीन अधिकारों,अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि को निहित करने के आदेश जारी किए गए है, जो उत्पादन के ऐसे स्तर को बनाए रखेगा ताकि यथानुपात आधार पर पूर्ववर्ती दो वर्षों के

वार्षिक उत्पादन के औसत का 80 प्रतिशत का न्यूनतम प्रेषण सुनिश्चित हो सके, ऐसा होने पर खान विकास और उत्पादन करार के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएंगी।"

(2) नये पट्टे धारक यह सुनिश्चित करेगा कि नये पट्टे के क्रियान्वयन की तिथि से दो वर्षों के बाद में वार्षिक उत्पादन पुराने पट्टेधारक के वार्षिक उत्पादन के समतुल्य या उससे अधिक है और पट्टे की अवधि के दौरान खनिज संसाधनों का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक उत्पादन योजना तैयार कर कार्यान्वित करेगा ऐसा न होने पर खान विकास और उत्पादन करार के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

4. उक्त नियमों में, नियम 18 के लिए निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

18. समाप्त होने वाले खनन पट्टे की नीलामी:- (1) राज्य सरकार अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार समाप्त होने वाले खनन पट्टों को इसके समाप्ति से पहले ही नीलामी करेगी ताकि खनिजों के उत्पादन में आने वाली बाधा को रोका जा सके।

(2) राज्य सरकार खनन पट्टे की सन्निकट समाप्ति से कम से कम छः महीने पहले नीलामी प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करेगी ताकि एक पट्टेधारक से दूसरे तक सहज अंतरण हो सके और ऐसे मामले में पट्टे को मौजूदा पट्टेधारक की पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात् क्रियान्वित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/1/2020-एम. VI]

अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i),तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:-

'9A. Conditions for issuance of vesting order and for obtaining rights, approvals, clearances, licenses and like under section 8B of theAct.-

(1) The State Government shall nominate a Secretary level officer of that State as the nodal officer, in respect of leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Act, within one week from the date of the notification of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2020.

(2) The nodal officer nominated under sub-rule (1) shall be authorised to collect all the valid rights, approvals, clearances, licences and the like vesting with the previous lessee and shall issue vesting order in favour of the new lessee alongwith the Letter of Intent.

(3) The vesting order issued under sub-rule (2) shall have the same terms and conditions of every rights, approvals, clearances, licenses and the like, which vested with the previous lessee:

Provided that any statutory payments or documents to be submitted for obtaining such rights, approvals, clearances, licenses and the like for the period for which vesting right is issued, shall be made

or done when the new lessee applies for issuance of the fresh rights, approvals, clearances, licences and the like under this rule:

Provided further that mandatory payments towards certain statutory clearances shall be paid by the new lessee as specified by concerned authorities or the nodal officer.

(4) The vesting order issued under this rule shall be valid for a period of two years from the date of execution of new lease deed or till the date of getting all fresh approvals, clearances, licenses, permits, and the like, whichever is earlier.

(5) It shall be lawful for the new lessee to commence and continue mining operations on the land in which mining operations were being carried out by the previous lessee, after the execution of the lease deed for a period of two years as provided in section 8B of the Act:

Provided that in respect of any land not owned by the State Government, the new lessee shall have the right to operate the mine, notwithstanding any claim or dispute by the owner of such land or the previous lessee, as the case may be and such claim or dispute shall be decided by the State Government, as per the extant laws.

(6) The new lessee shall immediately, but not later than one hundred twenty days from the date of execution of mining lease, apply afresh for all necessary rights, approvals, clearances, licenses and the like under the applicable statutes, rules or regulations, as the case may be, for obtaining the necessary clearances to enable further continuance of the mining operations beyond two years, in accordance with the proviso to sub-section (2) of section 8B of the Act:

Provided that the new lessee shall continue mining operation as per the approved mining plan of the previous lessee till the new mining plan is prepared and submitted for approval.

(7) On submission of new mining plan, the new lessee shall switch over to the new mining plan and while undertaking mining operations as per the new mining plan, the new lessee shall conform to the approved quantity and the conceptual limit of mining plan held by previous lessee till the new lessee obtains afresh the requisite clearances, approvals, rights and the like.

(8) The new lessee shall inform the nodal officer about the submission of application in accordance with sub-rule (6), alongwith copies of such application and the new lessee may be facilitated to obtain approvals required for mining operations through the single window system established by the State Government:

Provided that the final responsibility of obtaining the necessary approvals required for continuing the mining operations shall rest with the new lessee.

Explanation .- for the purposes of this sub-rule: "single window system"means a system established by the State Government for facilitating the grant of necessary clearances required for commencing the mining operations by the successful bidder selected through auction process.

(9) No authority shall reject grant of any rights, approvals, clearances, licenses and the like to the new lessee on account of past violations or outstanding dues of the previous lessee, which may be agitated before appropriate forums separately without prejudice to any rightful legal claims of the parties.'

3. After rule 12 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"12A-Additional conditions for commencement and continuation of production as per section 4B of the Act.–(1) Notwithstanding anything contained in these rules, during the first two years from the date of execution of new lease, the holder of mining lease,to whom the order of vesting of rights, approvals, clearances, licences and the like have been issued under section 8B of the Act, shall maintain such level of production so as to ensure minimum dispatch of eighty percent of the average of the annual production of two immediately preceding years on pro-rata basis, failing which appropriate actions in accordance with the Mine Development and Production Agreement shall be initiated.

(2) The new lessee shall ensure that the annual production beyond two years from date of execution of new lease is equal to or more than the annual production by the previous lessee and shall subsequently workout and implement an annual production plan to ensure that the mineral resources are fully exploited during the period of the lease, failing which appropriate actions in accordance with the Mine Development and Production Agreement shall be initiated."

4. In the said rules, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely:-

18. Auction of expiring mining lease.- (1) The State Government shall, as per the procedure specified in the Act and the rules made thereunder, conduct auction of an expiring mining lease well in advance of its expiry so as to prevent disruption in production of minerals.

(2) The State Government shall endeavour to complete the auction process at least six months before the impending expiry of a mining lease so that there is a smooth transition from one lessee to the other; and the lease in such cases shall be executed after the expiry of the lease period of the existing lessee.

[F. No. 1/1/2020-M.VI]

ANIL KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Note: The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.